कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा सुमन मीणा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिद्धपुरा, प्रतापगढ़ स्थानान्तरित किया गया था जिसके विरूद्ध सुमन मीणा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4063/2019 सुमन मीणा बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4063/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप सुमन मीणा, प्रधानाचार्य को उक्त आदेश की अनुपालना में तत्काल प्रभाव से उनके स्थानान्तरित स्थान हेतु कार्यमुक्त कर आदेशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिद्धपुरा, प्रतापगढ़ में दिया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सुमन मीणा/4063/2019 दिनांकः 29.11.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे सुमन मीणा, प्रधानाचार्य के स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जांच अनुभाग–प्रथम को 3 दिवस के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।**
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, प्रतापगढ़।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, डीग, भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सहायक निदेशक विभागीय जांच–प्रथम/विभागीय जांच अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)